

RAMGARH NAGAR PARISHAD

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 983042160124021809

Date : 16-01-2024

प्रभावी : प्रथम तिमाही 2022-2023

श्री/श्रीमती/सुश्री PANPATI DEVI W/O HIRALAL,
मोहल्ला Hehal ramgarh RAMGARH
RAMGARH - 829103
6201242951

एतद् दस्तावेज आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं. - 0190000145000M01 वार्ड सं. 19 हुआ है. आपके स्व. निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु. निर्धारित किया गया है।
इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

क्रम सं.	Particulars	Amount (In Rs.)
	स्व-निर्धारित कर की सूचना	101.00
1.	गृह कर	0.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	101.00
	कुल राशि (प्रति तिमाही)	



To be signed by the Applicant

नोट-

1. कर निर्धारण के लिये RAMGARH NAGAR PARISHAD Website, suda.jharkhand.gov.in पर प्रदर्शित है।
2. नियमावली के अनुसार 1 वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा।
3. हिदायत दी जाती है कि वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पाये।
4. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
5. यदि करदाता को वित्त वर्ष की समाप्ति तक कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
6. यदि करदाता को वित्त वर्ष की समाप्ति तक कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
7. निम्नलिखित कारणों से करदाता को (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है. इस स्व-निर्धारण -सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है।
8. RAMGARH NAGAR PARISHAD द्वारा संग्रहित इस सम्पत्ति कर इन इमारतों/ढाँचों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों, दखलत कोई कानूनी अर्थकार प्रदान करता है।
9. अगर आपके नया होलिंग नमों का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

RAMGARH NAGAR PARISHAD, RAMGARH

HOLDING TAX RECEIPT

Receipt No. TRN63158105012024010225

Date : 05-01-2024

Ward No : 19

Department / Section : Revenue Section
Account Description : Holding Tax & Others
Application Type : Mutation

SAF No. : SAF804004050124014158

Property Type : Vacant Land

Owner Name PANPATI DEVI C/O

Address : Hehal ramgarh ,
RAMGARH, RAMGARH Pin - 829103
MOB No : 6201242951

A Sum of Rs. 67.00 (in words) Sixty-Seven Only

towards Holding Tax & Others vide Cash

Dated 05-01-2024 Drawn on NA

Place Of The Bank.

N.B. Online Payment/Cheque/Draft/ Bankers Cheque are Subject to realisation.

Account Description	Period	Amount
Holding Tax Arrear	1 / 2022-2023 To 4 / 2022-2023	33.00
Holding Tax Current	1 / 2023-2024 To 4 / 2023-2024	33.00
	Total	66.00
	Rainwater Harvesting Tax	0.00
	Penalty Amount	5.78
	Rebate on current Demand	4.95
	Adjust amount	0.00
	Amount Received	67.00
	Advance Amount	0.00

हर वोट है जरूरी।

मतदाता के रूप में आज ही पंजीकरण करवाएं।

Every Vote matters.

Enroll Yourself as a Voter Today.



Signature of Tax Collector

Note:-

- This is a Computer generated Receipt. This receipt does not require physical signature.
- Avail 5% rebate yearly Holding Tax Amount by paying the tax before 30th June of the Financial Year.
- without prejudice to land right
- Urban Development Tax bill will not be valid as proof of ownership.
- इस संपत्ति कर का बिल स्वामित्व के साक्ष्य के लिए मान्य नहीं होगा।